निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 52 वर्ष 2018-2019

यह निरीक्षण प्रतिवेदन, अधिशासी अभियंता सिचाई खंड, हरिद्वार, द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय अधिशासी अभियंता सिचाई खंड, हरिद्वार, के माह 06/2017 से 08/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री रामवीर सिंह सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री मनोज कुमार सिंह, पर्यवेक्षक, श्री पंकज कुमार वरिष्ठ लेखापरीक्षक, द्वारा दिनांक 16/09/2018 से 27/09/2018 तक श्री एस के त्यागी वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

<u>भाग-I</u>

1. **<u>परिचयात्मकः</u>** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री मनोज कुमार नेगी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी व श्री अंकित पाण्डेय लेखापरीक्षक, द्वारा दिनांक 05/6/2017 से 17/06/17 तक श्री वी एस पँवार वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 08/2015 से 05/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 06/2017 से 8/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।
2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः सिचाई विभाग का कार्य यह की निर्माण कार्य के रूप मे सम्पन्न कराना तथा अधिकार क्षेत्र, पूर्ण जिला हरिद्वार एव पूर्ण उत्तराखंड ।

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः (रु लाख मे)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		शासन को समर्पित राशि / अवशेष	
	स्थापना `	गैर स्थापना `	आवंटन `	व्यय `	आवंटन `	व्यय `	स्थापना (समर्पित)	गैर स्थापना (अवशेष)
2015-2016	-		275.00	275.00	434.62	434.62		
2016-2017	-		100.00	70.00	419.28	419.28	30.00	
2017- 2018	-		461.36	450.79	1489.11	1489.08	10.57	0.03

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः (धनराशि रु लाख मे)

वर्ष	योजना का नाम (नाबार्ड)	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अधिक्य (+) `	बचत (-)`
		शून्य			

गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई का आवंटन स्रोत , राज्य सरकार है ।

(iii) इकाई की श्रेणी “A” है।

(iv) विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

(1) सचिव , सिचाई विभाग उत्तराखंड शासन ।

तकनीकी संवर्ग मे:

(2) प्रमुख अभियंता (विभागाध्यक्ष) (3) मुख्य अभियंता, गढ़वाल क्षेत्र स्तर -2, मुख्य अभियंता, कुमायु हल्द्वानी, मुख्य अभियंता प्रशिक्षण संस्थान कलागड़,मुख्य अभियंता परियोजना गढ़वाल यमुना कालोनी देहारादून, मुख्य अभियंता परिकल्प रुड़की , मुख्य अभियंता यांत्रिक देहरादून, अधीक्षण अभियंता, नलकूप मण्डल देहरादून ।

(4) अधीक्षण अभियंता, सिचाई कार्य मण्डल रुद्रप्रयाग (5) अधिशासी अभियंता (6) सहायक अभियंता

(7) कनिष्ठ अभियंता

गैर तकनीकी संवर्ग मे :

(1) वित्त नियंत्रक , (2) खंडीय लेखाकार (3) सहायक लेखाधिकारी (4) प्रशासनिक अधिकारी (5) लेखाकार (6)प्रधान सहायक ,(7) वरिष्ठ सहायक ,(8) कनिष्ठ सहायक।

(v) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में अधिशासी अभियंता सिचाई खंड, हरिद्वार को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन अधिशासी अभियंता सिचाई खंड, हरिद्वार, की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 3/2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

(vi) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा .....13....., लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

3. अधीक्षण अभियंता द्वारा विगत लेखापरीक्षा से अब तक की अवधि में दिनांक शून्य .. .. से ... तक..... निरीक्षण .....किया गया।
4. खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवार्षिक लेखाबन्दी तथा यंत्र संयंत्र लेखों की वार्षिक लेखाबन्दी क्रमशः माह 03/18 एवं 09/15 तक की गई।
5. फार्म 51: माह 08/2018 तक कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित किया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द्वितीय के अवशेष निम्नवत हैः- (धनराशि रु मे)।

भाग प्रथम nil

भाग द्वितीय ` 297983.00

खण्ड के उचन्त लेखों के अवशेष माह 08/2018 के अन्त में (धनराशि रु मे)

(क) प्रकीर्ण निर्माण अग्रिम ` 762014.00

(ख) सामग्री क्रय....शून्य

(ग) नगद परिशोधन....शून्य

(घ) निक्षेप.... (रु मे) ` 88081993.00

(ङ) भण्डार.... ` 1384491.00

भाग दो–'ब'

प्रस्तर–01 धनराशि ` 317.88 लाख का व्ययावर्तन

केन्द्रीय पोषित बाढ़ सुरक्षा कार्यक्रम सी0एस0एस0–एफ0एम0पी0 के धन आवंटन संबंधी कार्यालय ज्ञापांक के बिन्दु–1 में इस बात का स्पष्ट उल्लेख था कि आवंटित धनराशि का व्यय केवल उन्हीं योजनाओं के क्रियान्वयन पर एवं उसी सीमा तक किया जाएगा जितनी लागत भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गई थी।

सिचांई खण्ड, हरिद्वार के अभिलेखों की जॉच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि खण्ड में केन्द्र वित्त पोषित योजना ''सी0एस0एस0–एफ0एम0पी0'' के अन्तर्गत संचालित परियोजनाओं से कुल ` 317.88 लाख (U.K.-13 से ` 199.34 लाख, U.K.-14 से ` 37.39 लाख, U.K.-16 से ` 77.33 लाख व U.K.-18 से ` 3.82 लाख) का व्यय केन्द्र वित्त पोषित योजना सी0एस0एस0–आर0 की दो परियोजनाओं एवं ए0आई0बी0पी0 की एक योजना पर व्ययवर्तन कर किया गया था, जिसका योजनावार विवरण निम्नवत है:–

क्र0 स0	योजना का नाम	कार्य/परियोजना का नाम	वित्तीय वर्ष 15–16 में प्राप्त आवंटन (रू0 लाख में)	वर्ष 15–16 में आवंटन के सापेक्ष किया गया व्यय (रू0 लाख में)	व्यय की अधिक्य राशि (रू0 लाख में)	योजना जिससे अधिक व्यय किया गया
1.	सी0एस0 एस0–आर0	जनपद हरिद्वार में मिठी बेडी, कांगडी पुण्यभूमि अय्यापुर एवं आलमपुर ग्रामों की बाढ़ सुरक्षा योजना	190.00	202.71	12.71	एफ0एम0पी0
2.	सी0एस0 एस0–आर0	जनपद हरिद्वार में सोलानी बंध भोगपुर बालावाली बंध एवं आगरी के क्षतिग्रस्त बाढ़ कार्यो के पुनरस्थापना की योजना	25.00	202.18	178.18	एफ0एम0पी0
3.	ए0आई0	सुभाषगढ़ नहर	62.34	189.32	126.98	एफ0एम0पी0

	बी0पी0					

सी0एस0एस0–एफ0एम0पी0 की यू0के0–18 एवं सी0एस0एस0–आर0 की जनपद हरिद्वार में सोलानी बंध, भोजपुर बालावाली बंध योजना वर्तमान में पूर्ण हो चुकी थी, शेष योजनाएं धन अभाव के कारण वर्ष 15–16 के उपरान्त से बाधित है।

इस प्रकार खण्ड द्वारा सी0एस0एस0–एफ0एम0पी0 की योजनाओं से धनराशि रू0 317.88 लाख का व्यय वित्तीय नियमों के विरूद्ध अन्य योजनाओं पर किया गया था जिसका समायोजन सम्प्रेक्षा तिथि तक लम्बित था।

उक्त के सम्बन्ध में इंगित किए जाने पर खण्ड द्वारा अवगत कराया गया कि अन्य योजनाओं में दायित्व का सृजन होने के कारण एफ0एम0पी0 मद से भुगतान किया गया था।

उत्तर सम्प्रेक्षा को मान्य नहीं था क्योंकि वित्तीय नियमों के प्रावधानानुसार किसी योजना पर आवंटित धनराशि का उपभोग उसी योजना पर स्वीकृत सीमा तक किया जा सकता है।

अतः धनराशि ` 317.88 लाख के व्ययवर्तन का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो (ब)

प्रस्तर सं. 2 रू0 98.94 लाख का संविदाकारों को जी0एस0टी0 अधिनियम 2017 के विपरीत एस0जी0एस0टी0 एवं सी0जी0एस0टी0 का अधिक भुगतान किया जाना।

शासन के पत्रांक संख्या 2137/111(2)/17–27(सामान्य)/2007 दिनांक 05 सितम्बर 2017 में दिनांक 1.7.2017 से जी0एस0टी0 लागू होने के उपरान्त देयकों के भुगतान/निविदा की प्रकिया सम्बन्धी दिशा–निर्देश मे case-1 में स्पष्ट किया गया है कि दिनांक 30.6.2017 तक दाखिल एम0बी0 के सम्बन्ध में कर दायित्व वैट प्रणाली के अनुसार होगा तथा इसके उपरान्त प्रस्तुत एम0बी0 के सम्बन्ध में कर के दायित्व का निर्धारण जी0एस0टी0 के प्राविधानों के अनुसार होगा। इसके अतिरिक्त यदि इन्वाईस प्रस्तुत किया जाता है, तो इस बिल की तिथि को संविदाकार की कर देयता होगी।

उत्तराखण्ड माल एवं सेवाकर अधिनियम 2017 की धारा 2 की उप धारा 119 में " work contract" means a contract for building construction, Fabrication, completion, errection, installation, fittingout, improvement, modification, repair maintence, renovation, alteration or commissing of any immovable property wherein transfer of property in goods (whether as goods or in same other form) is involved in the execution of such contract का कार्य करने वाले संविदाकारों को भी डीलर (व्यौहारी) माना गया है, इसलिये प्रत्येक डीलर जिसका कारोबार उत्तराखण्ड में रू0 10.00 लाख प्रतिवर्ष है, उसे माल एवं सेवाकर अधिनियम की धारा 22 के अनुसार पंजीकृत/रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है तथा प्रत्येक पंजीकृत/रजिस्टर्ड ब्यौहारी को अधिनियिम की धारा 31 के अनुसार बिक्री किये गये माल एवं सेवा की टैक्स इन्वाइस निर्धारित प्रारूप में जारी करना अनिवार्य है।

Government of India/State
Department of ……

Form GST INV – 1
(See Rule --------)
Application for Electronic Reference Number of an Invoice

1. GSTIN
2. Name
3. Address
4. Serial No. of Invoice
5. Date of Invoice

Details of Receiver (Billed to)
Name
Address
State
State Code
GSTIN/Unique ID

Details of Consignee (Shipped to)
Name
Address
State
State Code
GSTIN/Unique ID

Sr. No.	Description of Goods	HSN	Qty.	Unit	Rate (per item)	Total	Discount	Taxable value	CGST		SGST		IGST	
									Rate	Amt.	Rate	Amt.	Rate	Amt.
	Freight													
	Insurance													
	Packing and Forwarding Charges													
		Total												
	Total Invoice Value (In figure)													
	Total Invoice Value (In Words)													
	Amount of Tax subject to Reverse Charges													

तथा जारी (Tax Invoice) बिक्री के बिलों पर अलग से बिल की धनराशि के साथ सी0जी0एस0टी0 एवं एस0जी0एस0टी0 कर की मॉग अलग से प्रदर्शित करनी होगी, तभी उनकों अलग से देय कर सी0जी0एस0टी0 एवं एस0जी0एस0टी0 धनराशि का भुगतान किया जा सकता था, अन्यथा अलग से कर का भुगतान नही किया जा सकता। अधिनियम की धारा 122(1) की उप धारा (i) के अनुसार यदि कोई पंजीकृत/रजिस्टर्ड ब्यौहारी किसी बीजक के जारी किए बिना, किसी माल या सेवा या दोनों की पूर्ति करता है, या ऐसा किसी पूर्ति के लिये झूठा या गलत बीजक जारी करता है तो वह

अपराध करता है, या धारा 122 (3) (ड) इस अधिनियम के अधीन नियमों के उपबन्धों के अनुसरण में बीजक को जारी करने में असफल रहता है, या अपनी लेखा पुस्तकों में बीजक के लिऐ कैफियत देने में असमर्थ रहता है, या धारा 132 (1) की उप धारा (क) इस अधिनियम के अधीन नियमों के उल्लंघन में किसी बीजक को जारी किए बिना ही किसी माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति कर अपवंचन के आशय से करता है, तो ऐसी शास्ति के लिये दायी होगा जो पच्चीस हजार रूपये तक हो सकेगी।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, सिचाई खण्ड, हरिद्वार की लेखापरीक्षा में पाया गया कि संविदी विभाग के द्वारा माह 6/2017 से माह 8/2018 तक संविदाकार से बिना टैक्स इनवाइस प्राप्त किये ही कार्य संविदा की धनराशि एवं अतरिक्त रू0 98,93,827.00 जी0एस0टी0 कर की धनराशि का भुगतान किया गया था। जबकि संविदी विभाग के द्वारा संविदाकार को कार्य संविदा की धनराशि का भुगतान जी0एस0टी0 के प्रावधानों के अनुसार जारी टैक्स इन्वाइस पर ही किया जाना चाहिए था, साथ ही संविदाकारों को भुगतान की गयी धनराशि से सम्बन्धित अभिलेखों में यह भी पाया गया कि सभी संविदाकार केवल वैट में ही रजिस्टर्ड थें,जबकि प्रावधानों के अनुसार उनकों सी0जी0एस0टी में भी रजिस्टर्ड होना अनिवार्य था, तभी उनकों जी0एस0टी0 कर का भुगतान किया जा सकता था,यदि उनके द्वारा निर्धारित प्रारूप में बिल प्रस्तुत कर अलग से जी0एस0टी0 कर की मांग की गई होती तो ही अन्यथा नही। संविदाकार के द्वारा ना तो अलग से शिडुयल बी में कर की अलग से मांग की गयी थी, और ना ही उसके द्वारा अपनी टैक्स इन्वाइस जारी कर मांग की गयी थी। फिर भी विभाग के द्वारा संविदाकारो को टैक्स धनराशि का अलग से भुगतान किया गया था, जोकि वस्तु एंव सेवाकर अधिनियम 2017 में उल्लिखित प्रावधानों एवं शासनादेश संख्या 2137 दिनांक 5 सितम्बर 2017 में उल्लिखित शर्तो के विरूद्व था। उपरोक्त से यह भी स्पष्ट होता है, कि रजिस्टर्ड ब्यौहारी संविदाकार की मंशा ही कर अपवंचन करने की थी, इसलिये उसके द्वारा सी0जी0एस0टी0 अधिनियम 2017 के प्रावधानो का पालन सुनिश्चित किये बिना ही संविदी विभाग से कार्य संविदा की धनराशि एवं अलग से 12 प्रतिशत कर जी0एस0टी0 की धनराशि का भुगतान प्राप्त किया गया था। इसलिये माल एवं सेवाकर अधिनियमों 2017 एवं नियमो के विरूद्व संविदाकारो को भुगतान की गयी संविदा एवं कर की धनराशि वसूली योग्य है। तथा उस पर धारा 122 (1) का (i),(xv) एवं अधिनियम की धारा 132(1) (क) के अनुसार अपराध एवं शास्ति के प्रावधान भी लागू होगे।

उपरोक्त के संबंध में खण्ड कार्यालय से पूछने पर अपने उत्तर में बताया गया कि शासनादेश सं0 2137/111(2)/1–17–27(सा0)2007 दिनांक 5/9/2017 के अनुसार एवं संविदाकारों द्वारा

जी0एस0टी0 अंकित पैड पर बीजक प्रस्तुत करने के उपरान्त ही संविदाकार को जी0एस0टी0 का भुगतान किया गया।

विभाग के द्वारा स्वंय ही स्वीकार किया गया है कि संविदाकारों के द्वारा जी0एस0टी0 द्वारा निर्धारित टैक्स इन्वाइस कार्य संविदा के सापेक्ष प्रस्तुत नही किया जाता है तथा संविदाकारों के द्वारा कार्य संविदा की दी गयी निविदा दरों शिडुयल बी में भी कार्य की दी गयी दरों में अलग से 12 प्रतिशत जी0सी0टी0 की मॉग भी विभाग से नही की गयी थी,उन सभी संविदाकारों को भी खण्ड कार्यालय के द्वारा कार्य संविदा की धनराशि के अतिरिक्त अलग से 12 प्रतिशत जी0एस0टी0 कर रू0 98,93,827.00 की धनराशि का अधिक भुगतान किया गया था । जोकि उत्तराखण्ड माल और सेवा कर विधेयक 2017 में उल्लिखित प्रावधानों के विरूद्व था, जिसकी वसूली सम्प्रेक्षा में लम्बित रहेगी।

अतः प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो (ब)

प्रस्तर सं0 3 रू0 819.73 लाख का व्यय नाबार्ड के नियमों/उत्तराखण्ड प्रिक्योरमेंट नियमावली 2008 में उल्लिखित प्रावधानों के विरूद्व किया जाना

उत्तराखण्ड शासन वित्त विभाग संख्या 177/XXXVII(7)/2008 देहरादून :– दिनांकः 01 मई, 2008 के अनुसार नियम 13.(1) रु0 25,00,000 (रू0 पच्चीस लाख) तथा उससे अधिक की अनुमानित लागत की सामग्री की अधिप्राप्ति के लिए कम से कम दो व्यापक परिचालन वाले राष्ट्रीय समाचार पत्रों में विज्ञापन द्वारा निविदा आमन्त्रित की जाए। रु0 25,00,000 (रू0 पच्चीस लाख) से कम कीमत की सामग्री की अधिप्राप्ति, व्यापक परिचालन वाले स्थानीय समाचार पत्र (पत्रों) और विशेष मामले में व्यापक परिचालन वाले एक राष्ट्रीय समाचार पत्र में विज्ञापन के माध्यम से की जाये। (2) निविदा पृच्छा राज्य सरकार/विभाग के वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाए तथा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एन0आई0सी0) की वेबसाइट से भी सम्बद्ध होनी चाहिए। (3) निविदा पृच्छा से सम्बन्धित सभी दस्तावेज, जिनमें निविदा की शर्तें और निबन्धन, अनुबन्ध का प्रारूप, सामग्री का विवरण और गुणवत्ता आदि होगी, पहले से ही तैयार किए जायें। दस्तावेज विभाग/संगठन की वेबसाइट पर रखे जायें और सम्भावित निविदादाताओं द्वारा वेबसाइट से उतारकर (डाउनलोड) दस्तावेजों का उपयोग किया जाए। यदि वेबसाइट में रखे गए दस्तावेजों का कोई मूल्य हो तो निविदादाताओं के लिए स्पष्ट निर्देश होने चाहिए कि निविदाएं प्रस्तुत करते समय उस मूल्य का भुगतान बैंक ड्राफ्ट या सरकार की ई–बैंकिंग सुविधाओं, यदि कोई है, द्वारा किया जाए। (4) सामान्यतः निविदा प्रस्तुत करने के लिए न्यूनतम समय निविदा सूचना के प्रकाशन की तिथि से अथवा निविदा दस्तावेजों के बिक्री के लिए उपलब्ध होने की तिथि से तीन सप्ताह, इनमें जो भी बाद में हो, दिया जाए। यदि विभाग विदेशों से भी निविदाएं प्राप्त करने की अपेक्षा करता है तो देशी और विदेशी दोनों निविदाओं के लिए न्यूनतम अवधि चार सप्ताह होगी।निर्माण कार्यों की अधिप्राप्ति नियम 27(1) इस अध्याय में जहॉ विशिष्ट प्रक्रिया निर्धारित है उसको छोड़कर, कार्य विषयक अधिप्राप्ति के सामान्य सिद्धान्त वही होंगे, जैसा अध्याय–1 और 2 में दिये गये हैं। निविदा प्राप्त करने की प्रक्रिया, यथा ई–प्रोक्योरमेन्ट, निविदा दस्तावेजों की विषयवस्तु, अनुरक्षण संविदा, धरोहर धनराशि, कार्यपूर्ति धरोहर, पारदर्शिता के सिद्धान्त, स्वेच्छाचारिता, कार्य कुशलता, मितव्ययिता और जवाबदेही के सिद्धान्तों से सम्बन्धित प्रक्रिया, जो अध्याय–2 में निर्धारित की गयी है, वह यथावत् निर्माण कार्यों हेतु भी लागू होंगी। 42(1) कार्यो के समूह को, जो एक परियोजना के ही भाग है, एक कार्य मानते हुए ही सक्षम प्राधिकारी से तकनीकी, प्रशासनिक एवं वित्तीय

स्वीकृति मात्र एक कार्य के लिये ली जाय। मात्र इसलिए कार्य के अलग–अलग टुकड़े न किये जायें कि उच्च स्तर से आवश्यक अनुमति न लेना पड़े। यह प्राविधान ऐसे कार्यों पर लागू नही होंगे, जो समान प्रकृति के होते हुए भी अपने में पूर्णतया स्वतंत्र हों। वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड 6 के प्रस्तर 378 के अनुसार बिना भूमि अधिग्रहण के निमार्ण कार्य प्रारम्भ नही किया जाना चाहिए था।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, सिचाई खण्ड, हरिद्वार की लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया नाबार्ड पत्रांक संख्या 2569/RIDF/XXII(Uttrakhand)/18thISC-14.12.2016/2016-17 dated 22-12-2016 के द्वारा रू0 2365.39 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुई थी। खण्ड कार्यालय के द्वारा एक स्वीकृत योजना के कार्य को 06 टुकडों में बॉटकर अल्पकालीन निविदा सूचना संख्या –01/अधि0 अभि0/2016–17 दिनांक 26.11.2016 को सशर्त आमंत्रित की गयी थी, जिसकों कार्यालय के पत्रांक संख्या 2745 दिनांक 26.11.2016 के द्वारा दो दैनिक समाचार पत्रों (दैनिक जागरण हरिद्वार एवं दैनिक मानव जगत हरिद्वार)में प्रकाशित करने हेतु कहा गया था। उक्त निविदा दिनांक 13.12.2016 तक केवल उन्ही संविदाकारों को विक्रय की जायेगी। जिनका सिचाई विभाग उत्तराखण्ड में वांछित श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारी के लिये होगा। तथा दिनांक 14.12.2016 को निविदा समिति द्वारा उपस्थित निविदादाताओं तथा उनके प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जायेगी। उक्त निविदा दरें निविदा खुलने की तिथि से 90 दिनों तक के लिये ही वैध थी। सशर्त निविदा आमंत्रित करने से जहॉ एक ओर शासन को प्रतिस्पर्धा दरों का लाभ नही प्राप्त हो पाया, वही दूसरी ओर एक ही संविदाकार को कार्य संख्या एवं अनुबन्ध संख्या 4,5 एवं 6 (क्रमशः रू0 69,83,366.00 ,69,02,283.00 तथा रू0 15,00,000.00 कुल निविदा धनराशि 1,53,85,649.00) संविदाकार मैसर्स गुरूकृपा कन्सैक्शन राजा जी0 गार्डन कालौनी जगजीतपुर हरिद्वार को ही आवंटित किया गया था। गठित 6 अनुबन्धों में कार्य प्रारम्भ की तिथि 16/3/2017/ एवं कार्य समाप्ति की तिथि 16/6/2017 (3माह) निर्धारित की गयी थी, जबकि उक्त सभी कार्य अपूर्ण होने बताये गये है, जिनका कारण सम्प्रेक्षा तिथि तक 5 हैक्टेयर भूमि का क्रय न किया जाना था, विभाग के द्वारा सम्प्रेक्षा तिथि तक माह 3/2018 को कोषागार से सैल्फ चैकों के द्वारा आहरित रू0 1,82,31,717.00 करोड के सापेक्ष बनाये गये बैंक ड्राफ्टों से केवल रू0 36,47,180.00 लाख धनराशि की ही ग्रामीणों से भूमि क्रय किया गया था, अवशेष धनराशि रू0 1,45,84,537.00 खण्ड कार्यालय में किस रूप में अवरूद्व पडी हुई थी, उसका भी सत्यापन सम्प्रेक्षा में नही कराया गया था।

इस संबंध में खण्ड कार्यालय से पूछने पर बताया गया कि ए0आई0बी0पी0 नाबार्ड योजना को पूर्ण करने के लिये सर्वप्रथम भूमि का क्रय किया जाना आवश्यक था। तथा रू0

1,82,31,717.00 के सापेक्ष व्यय धनराशि रू0 36,47,180.00 के उपरान्त अवशेष धनराशि रू0 1,45,84,537.00 के ड्राफ्ट सी0एस0एस0आर0 मद के बनाये गये थे। जिनकी रजिस्ट्री की कार्यवाही की जा रही है। बनाये गये बैक ड्राफ्ट सम्बन्धित सहायक अभियन्ताओ/कैशियर के पास सुरक्षित है।

विभागीय उत्तर मान्य नही है, क्योंकि खण्ड कार्यालय के द्वारा योजना स्वीकृत हुऐ बिना ही सशर्त निविदा आमंत्रित करना तथा धनराशि एवं तकनीकी स्वीकृति प्राप्त हुऐ बिना ही अनुबन्ध गठित कर देना तथा 3 माह में कार्य को पूर्ण करना इत्यादि का नतीजा यह हुआ कि जहॉ शासन को प्रतिस्पर्धा दरों का लाभ भी प्राप्त नही हो पाया, तथा कार्य के लिये 17 माह बाद भी भूमि का क्रय नही हो पाया तो गठित अनुबन्ध के कार्य कैसे पूर्ण हो सकते थे, इसलिये सभी कार्यो को सम्प्रेक्षा में प्रगति पर होना बताया गया है। विलम्ब अवधि के लिये संविदाकारों पर निविदा की धनराशि का निर्धारित प्रतिशत अर्थदण्ड का आरोपण भी नही किया गया था, जहॉ तक अवशेष रू0 1,45,84,537.00 के बैक ड्राफ्टों का सहायक अभियन्ताओं/कैशियर के पास सुरक्षित होना बताया गया है, तो सम्प्रेक्षा में बनाये गये ड्राफ्टों का सत्यापन क्यों नही कराया गया था,तथा वह किस सहायक अभियन्ताओं के नाम दर्शाये गये है उनके नाम भी नही बताये गये थे। सम्प्रेक्षा में यह भी नही बताया गया कि वर्ष 2016–17 से वर्ष 2018–19 (माह 8/2018) तक वर्षवार कुल आवंटन एवं व्यय क्या हुआ था। केवल यह उत्तर दिया गया है, कि नाबार्ड के अन्तर्गत माह 9/2018 तक रू0 1144.85 लाख आवंटन के विरूद्व ` 0819.73 लाख का व्यय हो चुका है। बिना भूमि अधिग्रहण किये निमार्ण कार्य प्रारम्भ नही किया जाना था। उपरोक्त से स्पष्ट है कि खण्ड कार्यालय के द्वारा आवंटित शासकीय धनराशि से सम्बन्धित अभिलेखों का रख–रखाव नियमानुसार नही किया जाता है।

अतः प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर-1 रु 7,62,014.00 विविध अग्रिम वसूली हेतु लंबित राशि का प्रकरण एवं स्टॉक सामग्री का रु 13,84,491.00 का समायोजन नहीं किया जाना ।

(क) वित्तीय हस्तपुस्तिका खंड 6 के नियम 578 के अनुसार विविध अग्रिम को निम्न चार श्रेणियों मे विभाजित किया गया है (1) उधार विक्रय (2) डिपॉजिट मद मे प्राप्त राशि से अधिक व्यय (3) हानि , त्रुटि के कारण हानि,आदि (4) अन्य मद मे ,किसी भी प्रकार से शासकीय हानि , इन सभी प्रकरणो मे अधिकारियों /कर्मचारियो /फर्मो/ठेकेदारो /अन्य विभागो के विरुद्ध विविध अग्रिम डाला जाता है एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका खंड 6 के नियम 584 के अनुसार इन सभी मदो मे विविध अग्रिम की धनराशि की वास्तविक वसूली की जानी चाहिए या किसी कारण से वसूली न हो पाने की दशा मे सक्षम अधिकारी के आदेश से जब तक बट्टे खाते मे न डाला जाए तब तक विविध अग्रिम लेखे से न हटाया जाए।

कार्यालय के लेखा अभिलेखो की नमूना लेखापरीक्षा मे पाया गया कि निम्न विवरण मासिक लेखा माह 7/2018 के अनुसार अधिकारियों / कर्मचारियों के विरुद्ध विविध अग्रिम अन्य मद, फर्मों/ ठेकेदारों के विरुद्ध विविध अग्रिम की धनराशि रु 7,62,014.00 लम्बी अवधि से वसूली हेतु लंबित है इस संबंध मे विगत लेखापरीक्षा मे भी प्रस्तर जारी किया गया था परंतु समायोजन की कोई कार्यवही नहीं की गयी है ।

इस संबंध मे लेखापरीक्षा द्वारा इंगित करने पर विभाग ने अपने उत्तर मे बताया कि पत्राचार किया जा रहा है । उत्तर लेखापरीक्षा को मान्य नहीं है क्योकि वसूली लम्बी अवधि से नहीं की जा सकी है। अत: रु 7,62,014.00 लाख की वसूली लंबित रहने का प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है ।

(ख) वित्तीय हस्त पुस्तिका खंड 6 के नियम 188 के अनुसार स्टॉक मे अवशेष सामग्री की घोषणा सक्षम अधिकारी द्वारा कर दी जाती है तो सामग्री को अन्य कार्यालय या अन्य विभाग को उपयोग हेतु अधिसूचना जारी की जानी चाहिए ओर जहां आवशयकता हो स्टॉक हस्तांतरित कर दिया जाना चाहिए, यह कार्यवाही प्रकाशन की तिथि से 6 माह मे पूर्ण हो जानी चाहिए ।

कार्यालय की नमूना लेखापरीक्षा मे पाया गया कि- स्टाक पंजिका वर्ष /माह 7/2018 मे स्टाक अवशेष के रूप मे स्टाक रु 13,84,491.00 की सामग्री का प्रकरण लंबे समय से पड़ा है ,खंड स्तर पर समायोजन हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गयी है , यह धनराशि/सामग्री किन कारणो से अवशेष है। इस संबंध मे इंगित करने पर विभाग ने अपने उत्तर मे बताया कि- स्टॉक मे बहुत पुराने मद है उपयोग हेतु सहायक अभियंता को निर्देश दे दिये गए है ,उत्तर

लेखापरीक्षा को मान्य नहीं है क्योकि सामग्री का क्रय उसी समय किया जाना चाहिए जब सामग्री की उपयोग होने की सूचना स्वीकृत आगणन मे प्रावधानित हो, यदि सामग्री अवशेष है तो इसका अर्थ यह है कि- सामग्री का क्रय बिना आवश्यकता के किया गया है ।

अत: रु 13,84,491.00 लाख की अवशेष सामग्री का प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है

<u>भाग-III</u>

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
25/2008-09	1,2	-	-
51/2010-11	1	-	-
50/2015-16	1,2	1	-
20/2017-18	-	1	1,2
योग			

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
			अनुपालन आख्या बाद मे प्रेषित की जाएगी।	

भाग-iv

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

"शून्य"

भाग-V

<u>आभार</u>

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु अधिशासी अभियंता, सिचाई खंड, हरिद्वार तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः

(i) रु.14584537.00 के बैंक ड्राफ्ट लेखा परीक्षा दल के समक्ष अप्रस्तुत रहे।

2. **सतत् अनियमितताएः**

(i) शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम	अवधि
(1)	श्री डी के सिंह	अधिशासी अभियंता	01.06.17 से 24.06.17 तक ।
(2)	श्री आर के तिवारी	अधिशासी अभियंता	24.06.17 से 30.04.18 तक।
(3)	श्री सुंदर लाल	अधिशासी अभियंता	01.05.18 से अब तक ।

विगत संप्रेक्षा से अब तक निम्नलिखित खण्डीय लेखाधिकारी खण्ड से संबंद्ध रहे।

(1) श्री वी॰ डी॰ जोशी

(2) श्री एच॰ एस॰ चौहान

(3) श्री हिरेन्द्र राणा

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति अधिशासी अभियंता सिचाई खंड, हरिद्वार, को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार आर्थिक क्षेत्र-2 ,को प्रेषित की जाए ।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
आर्थिक क्षेत्र-II